न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

प्रकरण संख्याः–47/2023 (6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा)

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीविजयनगर, जिला अनूपगढ़।

.... प्रार्थी

वनाम

विनोद कुमार पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण उम्र 38 साल निवासी 29 जीबी, शिवपुरी

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा मुकदमा नं. 242/2020 धारा 3/7 ईसी एक्ट, 420 आईपीसी पुलिस थाना श्रीविजयनगर में जब्तशुदा अवैध तरल पदार्थ (मिलावटी डीजल) को राजसात करने बाबत्।

दिनांकः– 20.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिए राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीविजयनगर, जिला अनूपगढ़ द्वारा अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। इस्तगासा प्रस्तुत अधिकारी (अभियोजन) में निवेदन किया है कि दिनांक 08.12.2020 के वक्त 02.32 एएम पर श्रीमान् विक्की नागपाल आरपीएस वृत्त अधिकारी वृत्त रायसिंहनगर मय जाप्ता व सुरेन्द्र कुमार एचसी 2080 मय थाना के जाप्ता के बहवाले रवानगी रपट संख्या 45 तारीख दिरोजा के गए हुए हाजिर थाना आये एवं एक किता फर्द बरामदगी बदी मजमुन, फर्द बरामदगी अवैध नकली डीजल भरे 23 ड्रम एवं एमटी ऑयल भरे 06 ड्रम एवं माप, कीप, हैण्डपंप, डायरी, पाउडर थैली आदि व 64 नग खाली ड्रम अजाने गुलजिम विनोद कुमार दिनांक 08.12.2020 समय 01.30 एएम दिनाक 07.12.2020 को वक्त 06.15 पीएम पर मन वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल कैम्प रायसिंहनगर को श्री रामेश्वरलाल उनि/थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीविजयनगर ने जरिए मोबाइल सूचना दी कि जिला स्पेशल टीम द्वारा कस्बा श्रीविजयनगर के नजद शिवपुरी (29 जीबी) गांव में विनोद कुमार ब्राह्मण नाम के व्यक्ति ने केरोसीन डिपो की आड़ में अपने गोदाम में अवैध नकल डीजल का भंडारण बेचान करने के लिए कर रखा है। उक्त इतला पर वृत्त अधिकारी ने जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी को कार्यवाही हेतु उपस्थित आने के लिए जरिए मोबाइल सूचना दी। जिन्होंने बताया कि मैं प्रवर्तन अधिकारी विजेन्द्रपाल को भिजवा रहा हूं जिस पर वृत्ताधिकारी मय जाप्ता व सरकारी वाहन के रवाना होकर वक्त 07–00 पीएम पर गांव शिवपुरी दुकान विनोद कुमार बालाजी किरयाना स्टोर पहुंचा जहां पर थाना प्रभारी मय जाप्ता के व रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी श्री विजेन्द्र पाल जो वृत्त अधिकारी द्वारा पूर्व में दी गई सूचना के मुताबिक व दुकान मालिक विनोद कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति ब्राह्मण उम्र 38 साल निवासी शिवपुरी (29 जीबी) उपस्थित मिले। सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही की जानी है इसलिए अवैध नकली डीजल भंडारण गोदाम की खाना तलाशी ली जानी है मगर रात्रि होने व अवैध नकली डीजल के खुर्द–बुर्द होने की पूर्ण संभावना व समय के अभाव में खाना तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए खाना तलाशी हेतु उक्त दुकानदार के पास खड़े श्री भारतभूषण पुत्र कन्हैयालाल जाति धानक उम्र 51 साल निवासी रामदास कॉलोनी वार्ड नं. 01 श्रीविजयनगर मो.नं. 7976911411 व श्रीरामदास पुत्र ठाकरराम जाति बिश्नोई निवासी 13 जीबी पुलिस थाना विजयनगर को स्वतंत्र गवाह बनाने बाबत् लिखित में क्रमशः वक्त 07:10 पीएम व 07:20 पीएम पर नोटिस दिया गया। दोनो ने लिखित मे सहमति प्रदान की जिस पर वृत्ताधिकारी मय थानाधिकारी श्री रामेश्वरलाल डीएसओ कार्यालय से विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री भारतभूषण व श्री रामदास, शक्स विनोद कुमार के साथ दुकान में प्रवेश किया तो उक्त दुकान के अंदर पूर्व मुखी गेट के अंदर गोदाम में प्रवेश कर निरीक्षण किया जाना शुरू किया गया तो पाया कि गोदाम के अंदर डीजल के भरे व खाली उपकरण आदि काफी सामान है जिनमें स्वतंत्र गवाह व प्रवर्तन अधिकारी की मौजूदगी में चैक किया गया तो पाया कि उक्त गोदाम में लोहे के 17 ड्रम व 05 प्लास्टिक के ड्रम जो सभी 200 लीटर क्षमता वाले व एक 100 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम भरा हुआ है जिन सभी में तरल पदार्थ भरे हुए हैं जिन सभी में कैरोसनी/डीजल जैसी गंध आ रही है एवं पास मे 64 खाली ड्रम जिनमें 46 लोहे के व 18 प्लास्टिक के ड्रम एवं 06 नग नकली डीजल माप यंत्र, तथा 03 नग कीप व 03 नग ड्रम से नकली डीजल निकालने व भरने के हैंडपंप तथा पास में नकली डीजल विक्रय के हिसाब–किताब की काले रेगजीन कवर की डायरी एवं नकली डीजल को असली डीजल बनाने के लिए रंग का रूप देने के लिए एक प्लास्टिक की थैली जिसमें करीब 100 ग्राम पीले रंग का पाउडर भरा हुआ है मिली इस प्रकार उक्त सभी 23 ड्रमों में भरे तरल

अति.जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner

पदार्थ के संबंध में हमारा गोदाम मालिक विनोद कुमार से पूछा तो बताया की उक्त सभी ड्रमों में मिश्रण युक्त तैयार किया गया नकली डीजल है जिससे तैयार कर मैं ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों को बेचता हूं। जिस पर उक्त सभी ड्रमों में भरे नकली डीजल को मन वृताधिकारी व स्वतंत्र गवाह एवं साथी मुलजिमानों को दिखाया गया जिन सभी ने देख व सूंघ कर नकली डीजल होना बताया इस प्रकार शक्स विनोद कुमार से इतनी अधिक मात्रा में नकली डीजल कहां से लाने बाबत पूछा तो शक्ख विनोद कुमार ने स्वयं द्वारा एमटीओ व सीएल ऑयल को मिलाकर नकली डीजर तैयार कर असली डीजल के रूप में ग्राहकों को कम मूल्य में बेचान करना बताया जिस पर शक्स विनोद कुमार को इतनी भरी मात्रा में अवैध नकली डीजल तैयार कर भंडारण के रूप में अपने कब्जे में रखना व विक्रय करने बाबत् कोई वैध लाइसेंस/परमिट के बारे मे पूछा गया तो कोई वैध परमिट नहीं होना बताया इस प्रकार शक्स विनोद कुमार द्वारा अपने गोदाम में भारी मात्रा में नकली अवैध डीजल तैयार कर भंडारण करना व कब्जे में रखकर विक्रय करना एवं नकली डीजल को असली के रूप में ग्राहकों को बेचान करना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाये जाने पर उक्त सभी नकली डीजल से भरे 23 ड्रमों एवं अन्य उपकरण तथा सभी खाली ड्रमो को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया एवं सभी 23 ड्रमो में 4500 लीटर नकली डीजल जिन प्रत्येक ड्रम में से बतौर सैंपल व कंट्रोल सैंपल नकली डीजल को निकालकर पृथक-पृथक 500 एमएल प्लास्टिक की बोतलों में क्रमानुसार ड्रमों में से निकालकर क्रमशः ड्रमों को A-1 से A-23 तक मार्क अंकित करते हुए वजह सबूत ड्रम मार्क A-1 मे से मार्क X-1 सैंपल व मार्क Y-1 कंट्रोल सैंपल तथा ड्रम मार्क A-2 मे से मार्क X-2 सैंपल व मार्क Y-2 कंट्रोल सैंपल, ड्रम मार्क A-3 मे से मार्क X-3 सैंपल व मार्क Y-3 कंट्रोल सैंप, ड्रम मार्क A-4 मे से मार्क X-4 सैंपल व मार्क Y-4 मे कंट्रोल सैंपल, ड्रम मार्क A-5 मे से मार्क X-5 सैंपल व मार्क Y-5 कंट्रोल सैंपल, ड्रम मार्क A-6 मे से मार्क X-6 सैंपल व मार्क Y-6 कंट्रोल सैंपल, Y-6 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-7 में से मार्क X-7 सैम्पल व मार्क Y-7 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-8 में से मार्क X-24 सैम्पल व मार्क Y-24 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-9 में से मार्क X-9 सैम्पल व मार्क Y-9 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-10 में से मार्क X-10 सैम्पल व मार्क Y-10 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-11 में से मार्क X-11 सैम्पल व मार्क Y-11 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-12 में से मार्क X-12 सैम्पल व मार्क Y-12 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-13 में से मार्क X-13 सैम्पल व मार्क Y-13 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-14 में से मार्क X-14 सैम्पल व मार्क Y-14 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-15 में से मार्क X-15 सैम्पल व मार्क Y-15 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-16 में से मार्क X-16 सैम्पल व मार्क Y-16 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-17 में से मार्क X-17 सैम्पल व मार्क Y-17 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-18 में से मार्क X-18 सैम्पल व मार्क Y-18 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-19 में से मार्क X-19 सैम्पल व मार्क Y-19 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-20 में से मार्क X-20 सैम्पल व मार्क Y-20 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-21 में से मार्क X-21 सैम्पल व मार्क Y-21 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-22 में से मार्क X-22 सैम्पल व मार्क Y-22 कन्ट्रोल सैम्पल, ड्रम मार्क A-23 में से मार्क X-23 सैम्पल व मार्क Y-23 कन्ट्रोल सैम्पल निकाल कर सभी 500 एमएल प्लास्टिक बोतलों में भरकर शील्ड मोहर किया गया। चूंकि शक्स विनोद कुमार के कब्जा से 23 ड्रमों में भारी मात्रा में अवैध नकली डीजल जब्त किया गया है। उक्त नकली डीजल को वाहन के अभाव व समय रात्रि होने के कारण थाने पर ले जाया जाना संभव नहीं है। जिस पर सभी सील शुदा सैंपल व कंट्रोल सैंपल की बोतले 46 नग को हमरा लिया व सभी जब्त शुदा 23 ड्रमों मय 64 खाली ड्रम जिनमें 46 लोहे के व 18 प्लास्टिक के ड्रम एवं 06 नग नकली डीजल माप यंत्र तथा 03 नग कीप एवं 03 नग ड्रम से नकली डीजल निकालने व भरने के हैण्डपंप तथा पास में नकली डीजल विक्रय के हिसाब किताब की काले रेगजीन कवर की डायरी एवं नकली डीजल को असली डीजल बनाने के लिए रंग का रूप देने के लिए एक प्लास्टिक की थैली जिसमें करीब 100 ग्राम पीले रंग का पाउडर को इसी गोदाम में रहने दिए जाकर गोदाम के दोनों गेट पर ताले लगाए जाकर बतौर सुरक्षा निगरानी हेतु थाना से तलब शुदा श्री मदनलाल कानि. 1502 छोड़ा गया। चूंकि सूचना के मुताबिक शक्स विनोद कुमार के घर के पीछे बने गोदाम की भी तलाशी ली जानी है अतः मन वृत्ताधिकारी मय थानाधिकारी स्वतंत्र गवाहान प्रवर्तन अधिकारी व शक्स विनोद कुमार को हमरा लेकर 10:30 पीएम पर शक्स विनोद कुमार के मकान व गांव शिवपुरी पहुंचकर मकान के पीछे पशुओं के बाड़े के पास गोदाम पश्चिममुखी का शैटर खोलकर देखा तो 0.5 ड्रम प्लास्टिक

प्रति:

अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

200 लीटर वाले व 0.1 ड्रम 100 लीटर क्षमता वाला रखा हुआ है उक्त सभी ड्रमों को चैक किया तो सभी ड्रम तरल पदार्थ से भरे हुए हैं जिस पर शक्स विनोद कुमार से पूछने पर बताया कि सभी ड्रमों में नकली डीजल बनाने के लिए एमटी ऑएल भरा हुआ है। इस प्रकार कुल 0.6 ड्रमों में 1100 लीटर एमटी ऑयल है प्रत्येक ड्रम में से बतौर सैंपल व कंट्रोल सैंपल एमटी ऑयल को निकालकर पृथ्क–पृथक 500 एमएल प्लास्टिक की बोतलों में क्रमानुसार ड्रमों में से निकालकर क्रमशः ड्रम A-24 से A-29 मार्क अंकित करते हुए वजह सबूत ड्रम मार्के ।.24 में से मार्क ᵞ.24 सैपल व मार्क Y-24 कंट्रोल सैंपल तथा ड्रम मार्क A-25 में से मार्क X-25 सैंपल मार्क Y-25 कंट्रोल सैंपल ड्रम मार्क A-26 में से मार्क X-26 सैंपल व मार्क Y-26 कंट्रोल सैंपल, ड्रम मार्क A-27 में से मार्क X-27 सैंपल व मार्क Y-27 कंट्रोल सैंपल, ड्रम मार्क A-28 में से मार्क X-28 सैंपल व मार्क Y-28 कंट्रोल सैंपल निकाल कर सभी 500 एमएल प्लास्टिक बोतलों में भरकर शील्ड मोहर किया गया शेष एमटी ऑयल को उन्हीं ड्रमों में रहने दिया गया। शक्स विनोद कुमार द्वारा इस प्रकार 1100 लीटर एमटी ऑयल का भंडारण अपने कब्जे रखने बाबत् कोई वैध लाइसेंस/परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया इस प्रकार शक्स विनोद कुमार द्वारा बिना लाइसेंस/परमिट के नकली डीजल तैयार करने के लिए एमटी ऑयल का भंडारण कर कब्जे में रखना एवं नकली डीजल तैयार कर असली के रूप में बेचना करना जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट और धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाए जाने पर शक्स विनोद की चैक लिस्ट पृथक से तैयार कर सबूत गिरफतारी गुजरने पर जरिए फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। शक्स विनोद कुमार के गिरफ्तारी की सूचना इसके कहे अनुसार पृथक से दी जा रही है। शक्स विनोद कुमार के घर में बने गोदाम से एमटी ऑयल के शील्ड सभी 500 एमलएल की 12 बोतलें बतौर सैंपल व कंट्रोल सैंपल को हमारा लिया एवं जब्तशुदा एमटी ऑयल से भरे ड्रमों को वक्त रात्रि व साधन के अभाव में थाना पर नहीं ले जाया जा सका। इसलिए उक्त सभी एमटी ऑयल से भरे 6 ड्रमों को उसी गोदाम में रहने दिया जाकर गोदाम के गेट पर ताला लगाया गया एवं बतौर निगरानी थाना से तलबशुदा श्री हेमराज कानि 1985 को छोड़ा जाकर निगरानी की हिदायत दी मन वृताधिकारी मय जाप्ता के नकली डीजल व एमटी ऑयल से शील्डशुदा वजह सबूत सैंपल व कंट्रोल सैंपल की बोतलें एव वजह सबूत नकली डीजल विक्रय हिसाब–किताब की डायर व वजह सबूत पीले रंग का पाउडर की थेली एवं गिरफ्तारशुदा मुल्जिम विनोद कुमार के रवाना थाना हो रहा हूं। नमूना शील फर्द के हासिया पर अंकित की गई आईदा थाना पहुंच कायमी फर्द पर मुकदमा दर्ज करवाया जावे अतः फर्द बरामदगी विधिवत तैयार कर हाजरिन को पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर कतरे हैं। एसडी विनोद कुमार एसडी विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी एसडी भारत भूषण व एसडी श्रीरामदास एसडी विक्की नागपाल वृताधिकारी अति. चार्ज वृत रायसिंहनगर कैंप गांव शिवपुरी हमरा लाए मजमून रिपोर्ट से मामला जूल्म 3/7 ई सी एक्ट 1955 व धारा 420 आईपीसी का घटित होना पाया जाता है। जिस पर प्रकरण 242 दर्ज तफतीश मन रामेश्वरलाल उनि थानाधिकारी द्वारा शुरू हुआ।

दौराने अनुसंधान मन थानाधिकारी ने बरामदगीकर्ता श्री विक्की नागपाल आरपीएस गवाहान श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन निरीक्षक श्री भारतभूषण श्रीरामदास से अनुसंधान कर बयान लेखबध कर शामिल पत्रावली किए गए। प्रकरण के घटनास्थल का नक्शा व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। गिरफतार शुदा मल्जिम विनोद कुमार से पूछताछ की गई दौराने पूछताछ मुल्जिम विनोद कुमार द्वारा दी गई इतिला (जहां से एमटी ऑयल खरीद किया गया है।) की तस्दीक की जाकर नक्शा मौका हालात मौका खरीद स्थल तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। अनुसंधान पुलिस बयान गवाहान व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से मुल्जिम विनोद कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, 420 भा.द सं. प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिम को बाद अनुसंधान व पूछताछ न्यायालय में पेश किया गया। श्रीमान न्यायाधीश महोदय मुल्जिम विनोद कुमार के जैसी आदेशी फरमाए जाने पर बाद कोविड–19 रिपोर्ट नेगेटिव आने के उपरांत मुल्जिम विनोद कुमार को दाखिल जेल करवाया गया। प्रकरण हाजा में मुल्जिम विनोद कुमार के भाई रमेश कुमार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजात Agency world Killa No 21, Village 7 BLW, NH 62 Surtgarh road near Kenchiyan, Hanumangarh का इनवाइस नं. 0000794 दिनांक 05.12.2020 मैसर्स बालाजी ट्रैडिंग कंपनी विजयनगर के नाम से एचपी एमटीओ 880 लीटर इनवाइस नं. 0000675 दिनांक 23.10.2020 मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कपनी विजयनगर के नाम से एचपी एमटीओ 1500 लीटर इनवास नं. 0000698 दिनांक 15.10.2020 मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी श्रीविजयनगर के नाम से एचपी एमटीओ 1500 लीटर इनवाइस न. 00006[illegible] दिनांक 05.10.2020 मैसर्स बालाजी

अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

टैंडिग कंपनी विजयनगर के नाम से एचपी एमटीओ 720 लीटर इनवाइस नं0 0000649 दिनांक 03.10.2020 मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी श्रीविजयनगर के नाम से एचपी एमटीओ 880 लीटर एवं ई–वे बिल नं. 7411 5116 5438 जो एजेंसी वर्ड द्वारा बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम जारी शुदा की प्रमाणित प्रतियां एवं दस्तावेज बैयनामा आराजी शिकनी नरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी विजयनगर बहक विनोद कुमार पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी 29 जीबी शिवपुरी दिनांक 06.06.2013 की प्रमाणित प्रति एवं जिला कलक्टर रसद श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संख्या 1011/2019 विनोद पुत्र भागीरथ, उचित मूल्य दुकानदार निवासी 29 जीबी तहसील विजयनगर दिनांक 31.10.2019 की प्रमाणित प्रति एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा भागीरथ/लालचंद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत 29 जीवी के मृत्यु उपरांत विनोद कुमार पुत्र भागीरथ ग्राम पंचायत 29 जीवी को मृतक डीलर आश्रित श्रेणी के अंतर्गत प्राधिकार पत्र संख्या 10/2019 दिनाक 31.10.2019 जारी करने वावत् आदेश की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। एजेंसी वर्ड किला नं. 21 विलेज 7 बीएलएम एनएच 62 सूरतगढ़ रोड़ नीयर कैंचिया, हनुमानगढ़ के संचालक श्री कमल कुमार एवं अन्य गवाहान श्री राकेश कुमार एवं श्रीमती सविता से अनुसंधान कर वयान लेखवद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। फर्म ऐजेनसी वर्ल्ड कम्पनी की लाईसेंस धारी श्रीमती सविता द्वारा पेश रिकार्ड अनुज्ञप्ति जारी जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ दिनांक 19.08.2020, टैक्स ईनवाईस एचपी एमटीओ 2445 दिनांक 04.12.2020, ईवे बिल दिनांक 04.12.2020,भारत सरकार वाणिज्य और उधोग मंत्रालय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा मैसर्स एजेन्सी वर्ल्ड को जारी लाईसेंस क्रमांक P/NC/RJ/15/1228(P436496) एवं श्रीमती सविता पत्नी राकेश कुमार को कमल कुमार पुत्र राजेन्द प्रसाद को फर्म एजेंसी वर्ल्ड का मुख्यतारेआम नियुक्त करने वावत मुख्यतारेआम दिनाक 02.07.2020 की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वजह सबुत शील्ड शुदा मार्क X-1 से X-29 का विशेष वाहक श्री श्रवण कांस्टेबल 2116 के मार्फत कार्यालय श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से अग्रेषन पत्र क्रमांक प–17()गंगा/सीबी/परीक्षण/2020 /1656 दिनांक 30.12.2020 जारी करवाया जाकर एफएसएल जोधपुर से जरिये रशीद क्रमांक RFSL(JOD)/7154/CAE/20/88/20 Date 31.12.2020 के द्वारा जमा करवाया गया। मालखाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र हैडकानि. 2080 एवं कैरियर श्री श्रवण कानि. 2116 से अनुसंधान कर ब्यान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली कियें। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां शामिल पत्रावली की गयी। अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 17 ड्रम लोहे के एवं 05 ड्रम प्लास्टिक जिसमें अवैध नकली डीजल एवं एमटी ऑयल 5600 लीटर भरा है। एवं 64 खाली ड्रम जिमें 46 ड्रम लोहे एवं 18 ड्रम प्लास्टिक , 06 नग नकली डीजल माप यंत्र, 03 नग कीप एवं 03 नग ड्रम से नकली डीजल निकालने एवं भरने के हैण्डपम्प को राजसात करने आदेश फरमावें।

थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे पर एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाव प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा कि जप्तशुदा पदार्थ एमटी ऑयल, मल्टी ट्रपाईन ऑयल(तारपीन ऑयल) है जो मकानो के रगं रोंगन, स्पेयर पार्टस धोने के काम में आता है। जब्तशुदा पदार्थ डीजल नहीं पाए जाने पर उसकी फ्लेश प्वाइंट की जांच की गई तो कुल 29 सैंपल में से 26 सैंपल का फ्लेश प्वाइंट 51 डिग्री से 51–52 डिग्री सी आया जो बी ग्रेड में आता है जिसके तहत पांच हजार लीटर तक एचपी एमटी ऑयल रखा जा सकता है तथा पैकेट मार्क एक्स–6 139 डिग्री सी पेपर मार्क एक्स 7 140 डिग्री सी पेपर मार्क एक्स 9 132 डिग्री सी फ्लैश प्वाइंट पाया गया जो सी ग्रेड में आता है । सी ग्रेड में 4500 लीटर तक ऑयल बिना परमिट/लाइसेंस रखा जा सकता है, जबकि अप्रार्थी के पास तो फर्म का वैध व प्रभावी लाइसेंस है इस प्रकार स्टेट ने अप्रार्थी के विरूद्ध विपरीत कार्यवाही की है तथा आज्ञात्मक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर गलत रूप से प्लास्टिक की बोतलों में सैंपल लेकर जो जप्ती की कार्यवाही की है वो अवैध है तथा जप्त की कार्यवाही दूषित होने से अप्रार्थी से जप्तशुदा सामान वजह सबूत को राजसात किया जाना कानूनी न्याय संगत नहीं है तथा अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप योग्य है तथा अप्रार्थी जप्तशुदा सामान वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जवाव साक्ष्य एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी से जप्त किया गया एमटी ऑयल 5600 लीटर जिसमें 23 ड्रम जिसमें 17 ड्रम लोहे के व 05 ड्रम प्लास्टिक के सभी 200 लीटर क्षमता के एवं एक ड्रम प्लास्टिक 100 लीटर जिसमें 4500 लीटर नकली डीजल बताकर एवं

अति. जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6 नग नकली डीजल माप यंत्र, 03 नग कीप, 03 नग हैडपंप, एक हिसाब डायरी, 100 ग्राम पीले रंग के पाउडर की एक थैली एवं 64 नग खाली ड्रम जिसमें 46 लोहे के तथा 18 प्लास्टिक के तथा अप्रार्थी के मकान के पीछे पशुओं के बाड़े के पास बने तथा कथित गोदाम से एमटी ऑयल के भरे 6 ड्रमों में 1100 लीटर एमटी ऑयल जिसमें 05 ड्रम प्लास्टिक 200 लीटर क्षमता व एक ड्रम लोहे का 100 लीटर क्षमता, जप्तशुदा को अप्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश दिए जाएं तथा अप्रार्थी पर विधि विपरीत कार्यवाही करने से जप्ती अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा बिना अनुमति पैट्रोलियम का भण्डारण एवं विक्रय किया गया हैं। जिससे अप्रार्थी द्वारा बिना किसी प्राधिकार पत्र के अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ का विक्रय किया जाना पाया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारन और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) का उल्लंघन किया हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा, पैट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी अपने जवाब एवं लिखित बहस में वर्णित किया है कि जब्तशुदा पदार्थ एमटी, ऑयल, मल्टी ट्रपाईन ऑयल(तारपीन ऑयल) है जो मकानो के रगं रोंगन, स्पेयर पार्टस धोने के काम में आता है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं लिखित बहस में यह स्वीकार किया है कि उक्त जब्तशुदा पदार्थ अप्रार्थी के मकान के पीछे पशुओं के बाड़े के पास बने तथाकथित गोदाम से जब्त किया गया है। उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि जब्तशुदा पदार्थ अप्रार्थी के गोदाम से ही प्राप्त किया गया है। अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में प्राप्त पैकिट मार्क X-1 से X-29 के लिक्विड सैम्पल के परीक्षण करने पर Flash point निम्न प्रकार पाये गये है--

पैकिट मार्क	Flash point	पैकिट मार्क	Flash point	पैकिट मार्क	Flash point
X-1	50^{0}C(Abel)	X-11	52^{0}C(Abel)	X-21	51^{0}C(Abel)
X-2	50.5^{0}C(Abel)	X-12	52.5^{0}C(Abel)	X-22	51^{0}C(Abel)
X-3	51.5^{0}C(Abel)	X-13	53^{0}C(Abel)	X-23	52^{0}C(Abel)
X-4	52^{0}C(Abel)	X-14	52^{0}C(Abel)	X-24	52^{0}C(Abel)
X-5	53^{0}C(Abel)	X-15	52.5^{0}C(Abel)	X-25	51.5^{0}C(Abel)
X-6	139^{0}C(COC)	X-16	51^{0}C(Abel)	X-26	51^{0}C(Abel)
X-7	140^{0}C(COC)	X-17	52^{0}C(Abel)	X-27	51.5^{0}C(Abel)
X-8	52^{0}C(Abel)	X-18	51^{0}C(Abel)	X-28	51^{0}C(Abel)
X-9	132^{0}C(COC)	X-19	51.5^{0}C(Abel)	X-29	52^{0}C(Abel)
X-10	62^{0}C(Abel)	X-20	52^{0}C(Abel)		

पैकिट मार्क X-1 से X-5, X-8, X-10 से X-29 के लिक्विड सैम्पल के परीक्षण करने पर प्राप्त Flash point लगभग 50^{0}C(Abel) से 53^{0}C(Abel) प्राप्त हुआ है। **पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ जिसका फ्लेश प्वाईट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे से नीचे होता है, वे ख में आते है। अतः एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार जब्तशुदा पदार्थ श्रेणी ख का पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया है।** अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक क्षे.वि.वि.वि.प्र./जोध./रसा./2022/24 दिनांक 12.02.2022 के अनुसार सैम्पल X-1 से X-29 Petroleum Fraction का होना प्रमाणित होता है। अप्रार्थी द्वारा यह कथन किया था कि उक्त सैम्पल एमटी ऑयल/तारपीन ऑयल है, जो एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित नहीं होता है।

अप्रार्थी द्वारा यह कथन भी किया है कि अप्रार्थी के पास बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से रजिस्ट्रेशन फर्म है। जिसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त रेजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र फर्म का जीएसटी नम्बर प्रमाण पत्र है उक्त प्रमाण पत्र में कही भी उल्लेखित नहीं है फर्म पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण एवं वितरण कर सकती है तथा अप्रार्थी द्वारा **मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005** के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य अनुज्ञप्ति/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अप्रार्थी के

अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कब्जे में पाये गये पैट्रोलियम पदार्थ को अप्रार्थी को भण्डारण, परिवहन करने तथा व्यापार करने की अनुज्ञा प्राप्त हो।

पैट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 7 व 8 अनुसार पैट्रोलियम पदार्थ वर्ग क 30 लीटर, वर्ग ख 2500 लीटर ,एवं 5000 लीटर वर्ग ''ग'' के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है। पैट्रोलियम अधिनियम 1934 तहत पैट्रोलियम एक्ट में दी गई छूट के अतिरिक्त पैट्रोलियम पदार्थ को अपने कब्जे में रखने हेतु अनुज्ञप्ति की आवश्यक्ता हैं। अप्रार्थी के पास 5600 लीटर एमटी ऑयल/पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया हैं, जो वर्ग ख का पदार्थ है जिसका बिना अनुज्ञप्ति 2500 लीटर तक का भण्डारण किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 3 के तहत जारी **मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद(उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) का उल्लंघन किया गया हैं। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा 17 ड्रम लोहे के एवं 05 ड्रम प्लास्टिक जिसमें अवैध नकली डीजल एवं एमटी ऑयल 5600 लीटर भरा है एवं 64 खाली ड्रम जिनमें 46 ड्रम लोहे एवं 18 ड्रम प्लास्टिक, 06 नग नकली डीजल माप यंत्र, 03 नग कीप एवं 03 नग ड्रम से नकली डीजल निकालने एवं भरने के हैण्डपंप** को राजसात किया जाना उचित है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रकरण में जब्तशुदा 17 ड्रम लोहे के एवं 05 ड्रम प्लास्टिक जिसमें अवैध नकली डीजल एवं एमटी ऑयल 5600 लीटर भरा है एवं 64 खाली ड्रम जिनमें 46 ड्रम लोहे एवं 18 ड्रम प्लास्टिक, 06 नग नकली डीजल माप यंत्र, 03 नग कीप एवं 03 नग ड्रम से नकली डीजल निकालने एवं भरने के हैण्डपम्प को राज्य पक्ष में अधिगृहित करने के आदेश दिए जाते हैं। थानाधिकारी, पुलिस थाना, श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता हैं कि वे उक्त राज्य पक्ष में अधिगृहित **17 ड्रम लोहे के एवं 05 ड्रम प्लास्टिक जिसमें अवैध नकली डीजल एवं एमटी ऑयल 5600 लीटर भरा है एवं 64 खाली ड्रम जिनमें 46 ड्रम लोहे एवं 18 ड्रम प्लास्टिक, 06 नग नकली डीजल माप यंत्र, 03 नग कीप एवं 03 नग ड्रम से नकली डीजल निकालने एवं भरने के हैण्डपंप** को नियमानुसार राज्य पक्ष में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.11.24 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़